बिहार सरकार
बिहार सरकार
समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)
(स्थापना शाखा)
दूरभाष सं0– 06189 – 223241 (O)
फैक्स सं0– 06189 – 223301
E-mail - dm-bhabhua.bih@nic.in

जिला/अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय के लिए अल्पकालीन निविदा

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक–1014 दिनांक 09.08.2017 द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के क्रियान्वयन हेतु अनुमण्डल एवं जिला स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय को रूपये–1,25,000.00 (एक लाख पच्चीस हजार) की अधिसीमा के अन्तर्गत Heavy Duty Photo Copier Machine (25 pages per minute) with Inbuilt Scanner & Printer (Accessories-Stabilizer, Trolly etc.) अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिहार वित्तीय एवं जी0एस0टी0 नियमावली के प्रावधानों का पालन करते हुए मुहर बंद लिफाफा में सामग्री का दर निर्धारण एवं आपूर्त्ति करने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्त्तिकर्त्ता सीलबंद निविदा जिला स्थापना शाखा, कैमूर के कार्यालय कक्ष में दिनांक– 18.11.2017 के अपराह्न 02:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदाए उसी दिन अपराह्न 03:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। सामग्री एवं अन्य शर्तें जिले की बेवसाईट Kaimur.bih@nic.in एवं जिला स्थापना शाखा, समाहरणालय, भभुआ(कैमूर) से प्राप्त की जा सकती है।

सामग्री का विवरणी निम्न प्रकार हैं:–

क्र0	सामग्री का नाम	यूनिट
1	Heavy Duty Photo Copier Machine (25 pages per minute) with Inbuilt Scanner & Printer (Accessories-Stabilizer, Trolly. etc	03

निविदा की शर्तें :–

1. निविदा के रूप में तकनीकि निविदा एवं वित्तीय निविदा सभी कागजात के साथ अलग–अलग सीलबंद लिफ़ाफे में जमा करना होगा।

तकनीकि निविदा :–

1. तकनीकि निविदा के साथ वाणिज्यकर विभाग का निबंधन प्रमाण–पत्र, आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड की छाया प्रति एवं दो वर्षों (2015–16 एवं 2016–17) का वार्षिक आयकर रिटर्न का प्रमाण–पत्र देना होगा।
2. निविदादाता द्वारा मो0 10,000.00 (दस हजार) रूपये जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है, जो जिला पदाधिकारी, कैमूर पदनाम से कैमूर में विकलनीय होगा।
3. निविदादाता/फर्म को काली सूची में नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करना आवश्यक होगा।

वित्तीय निविदा :–

1. वित्तीय निविदा में सभी सामग्री का दर प्रति यूनिट सभी कर एवं परिवहन व्यय सहित अंकित करना होगा।

2. निविदा में आपूर्त्ति किये जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।
3. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की वारंटी के साथ वार्षिक रख–रखाव का व्यय भी अलग से कोट करना होगा।

अन्य शर्ते :–

1. निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाता को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि आपूर्त्ति आदेश के पन्द्रह दिनों के अन्दर स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज, गुणवत्ता के अनुसार सामग्री की आपूर्त्ति निश्चित रूप से कर देंगे एवं निर्धारित तिथि तक **तीनों लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में अधिष्ठापित कर** देंगें।
2. निविदा में अंकित मूल्य पर जिला नजारत शाखा, कैमूर में सामग्री की आपूर्त्ति करनी होगी। इसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नही होगा।
3. निविदा खोलने के दिन सामग्री का ब्राउसर साथ में लायेगें ताकि उनकी डिजाईन एवं उपयोगिता की जानकारी प्राप्त की जा सके।
4. स्वीकृत किये गये नमूने के अनुरूप सामग्री की आपूर्त्ति नहीं किये जाने पर आपूर्त्तिकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्त्ति की गयी सामग्री का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा एवं जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी, साथ ही आपूरित सामग्री आपूर्त्तिकर्त्ता को वापस ले जानी होगी, इसके लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्त्ति भुगतान का दावा अमान्य होगा।
5. स्वीकृत आपूर्त्तिकर्त्ताओं के द्वारा ससमय आदेशित सामग्री की आपूर्त्ति नही किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदादाताओं या अनुमोदित दर पर आपूर्त्ति ली जा सकती है।
6. सामग्री की आपूर्त्ति हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत एल–1 एवं एल–2 निविदादाताओं को छोड़कर शेष जमानत राशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी।
8. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
9. कोई भी निविदा या दावा कैमूर जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा।
10. आपूर्त्ति की गई सामग्री के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार CGST/SGST/ आयकर देय होगा, जिसकी कटौती एकमुश्त भुगतान के समय की जायेगी।
11. सामग्री इंस्टालेशन की व्यवस्था निविदाकर्त्ता को हीं करनी होगी उसके लिए अलग से किसी प्रकार की देयता नहीं होगी।
12. सामग्री की गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदाकर्त्ता को अधिमानता दी जायेगी।

जिला पदाधिकारी
कैमूर (भभुआ)